मध्यप्रदेश विधान सभा

नवम्बर, 2002 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर, 2002 (अग्रहायण 1, 1924)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री बिसाहूलाल सिंह, ऊर्जा मंत्री -

(1) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 2002-2003; तथा

(2) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 79 (क) की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1-तेरह-5514-21, दिनांक 27 फरवरी, 2002 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री हिम्मत कोठारी, डॉ. सीतासरन शर्मा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य, राज्य शासन द्वारा वेट टैक्स में बढ़ोत्तरी किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री राजनारायण सिंह, नित्य निरंजन खम्परिया, पी.सी. शर्मा, सदस्य, इंदिरा सागर बांध परियोजना के प्रभावित गांवों का सर्वे न किये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (नर्मदा घाटी विकास) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्वश्री सुधाकर बापट, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, बीना क्षेत्र में पानी रोको अभियान में व्यापक गड़बड़ी होने की ओर पंचायत मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) सर्वश्री रणवीर सिंह, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले के करेरा नगर पंचायत में पदस्थ मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, जिला ग्रामीण विकास अधिकरण, राजगढ़ की गोघटपुर शाखा द्वारा आवास ऋण दिये जाने वाले अनुदान में अनियमितता होने की ओर ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले में रेत उत्खनन के नाम पर अवैध वसूली किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) सर्वश्री भूपेन्द्र सिंह, पन्नूलाल प्रजापति, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में मध्याह्न भोजन में घटिया खाद्य सामग्री का वितरण होने की ओर ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री बाबूलाल गौर, रमाकांत तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम बसौली में अनुसूचित जाति के बालक की बलि देने का प्रयास होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, सदस्य, भोपाल के कुछ क्षेत्रों में पेयजल में पारे की अधिकता से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी एवं दतिया जिले के ग्रामों में पेयजल संकट उत्पन्न होने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) श्री अहिरवार पर्वतलाल, सदस्य, भोपाल शहर में मादक द्रव्यों का अवैध कारोबार होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) डॉ. सीतासरन शर्मा, सर्वश्री नरेन्द्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, बालाघाट जिले में नक्सलियों द्वारा विस्फोटक सामग्री लूट लिये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री रणवीर सिंह, सदस्य, शिवपुरी जिले की दोआब नहर से सिंचाई हेतु पानी न मिलने की ओर उप मुख्यमंत्री (जल संसाधन) का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री नरेन्द्र बिरथरे, लाल सिंह, भूपेन्द्र सिंह, सदस्य, ग्वालियर जिले के डबरा थाना के कैदी की पुलिस द्वारा हत्या किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री गोरेलाल, सदस्य, पन्ना जिले के सपतईया ग्राम में अवैध रूप से चूना पत्थर का उत्खनन किये जाने की ओर खनिज साधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) सर्वश्री लक्ष्मीकांत शर्मा, केदारनाथ शुक्ल, सदस्य, प्रदेश के सीमेंट उद्योगों द्वारा अपशिष्ट कणों को छोड़े जाने से हो रहे प्रदूषण की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(17) श्री सुनील उर्फ डॉ. सुनीलम्, सदस्य, उज्जैन जिले के भारत कामर्स इन्डस्ट्रीज के प्रबन्धकों द्वारा तालाबंदी किये जाने की ओर राज्यमंत्री श्रम का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री प्रभुदयाल गेहलोत, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का पचपनवां, छप्पनवां, सत्तावनवां कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. ग्रामोद्योग मंत्री का वक्तव्य

श्री के.पी. सिंह, ग्रामोद्योग मंत्री, दिनांक 28 जुलाई, 2000 तथा दिनांक 10 नवम्बर, 2000 को पूछे गये क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्रमांक 445) एवं अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्रमांक 211) के उत्तरों में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. लोक लेखा समिति में रिक्त हुए एक स्थान की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2002-2003 की शेष अवधि के लिये लोक लेखा समिति का सदस्य होने के लिये अपने में से एक सदस्य के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में विद्युत संकट तथा कृषकों को विद्युत पंप कनेक्शन न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा का पुनर्ग्रहण.

निर्धारित समय

8. अशासकीय संकल्प

(1) श्री हिम्मत कोठारी, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. "सदन का यह मत है कि जनसंख्या वृद्धि चिंता का विषय है. अतः शासन द्वारा जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिये कठोर कदम उठाये जावें."

(2) सर्वश्री हरीशंकर जायसवाल (हरि भैया), हाजी गुलाम सिप्तैन, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

45 मि. "सदन का यह मत है कि प्रदेश में वन्य प्राणियों द्वारा कृषकों की फसलों को क्षति करने पर क्षतिपूर्ति वन विभाग द्वारा दी जावे."

(3) श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

1 घन्टा "सदन का यह मत है कि सूखे के स्थाई हल के लिये वर्षा जल रोकने हेतु प्रदेश में बहने वाले प्रत्येक नदी, नालों का व्यापक सर्वे कर उपयुक्त स्थानों पर स्टापडेम बनाए जावें."

डॉ.ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 21 नवम्बर, 2002